राजस्थान–सरकार

निर्णय बईजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प (प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021) द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट कैम्प दौलपुरा

प्र0सं0 99/2018 प्रा0पत्र

निर्णय दिनांक :– 16.11.2021

–:: अनवान ::–

01. श्री रामलाल पिता दीपा कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
02. दयाराम पिता दीपा कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
03. राजी पत्नी दीपा कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
04. किशोर पिता कालुराम कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)

––– वादी

–:: बनाम ::–

01. जेठमल पिता चतरू कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
02. मांगीलाल पिता वरदा कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
03. कालु पिता हजारी कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी फरालिया तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
04. शम्भु पिता पाबु रायका जाति रायका उम्र बालिग निवासी आंजना ढाणी तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
05. भंवर पिता पाबु रायका जाति रायका उम्र बालिग निवासी आंजना ढाणी तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
06. मदन पिता पाबु रायका जाति रायका उम्र बालिग निवासी आंजना ढाणी तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
07. बगसु पिता पाबु रायका जाति रायका उम्र बालिग निवासी आंजना ढाणी तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)
08. भबुत पिता हजारी रायका जाति रायका उम्र बालिग निवासी आंजना ढाणी तहसील देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राजस्थान)

–––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उपस्थित :— प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प दौलपुरा में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली है। पक्षकार उपस्थित है। जिन्होने पत्थरगढी करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रा0प0 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 बाबत् पत्थरगढी कराये जाने का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि ग्राम फरालिया एवं ग्राम दौलपुरा प0ह0 दौलपुरा तहसील देवगढ़ में स्थित है। ग्राम फरालिया की भूमि के खा0सं 34 ख0न0 98, 106 रकबा क्रमशः 0.11 एवं 0.19 तथा ग्राम दौलपुरा की भूमि के खा0नं0 272 ख0नं0 853, 875, 876, 877 रकबा क्रमशः 2.15, 3.07. 1.05, 0.18 है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार होकर भूमि प्रार्थीगण के कब्जे कश्त है तथा भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कर रहे है। विपक्षीगण उक्त भूमि के पड़ौसी है। उक्त भूमि के चारों और पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण हर समय प्राथीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियम रखते है जिससे फसल बुवाई एवं कडाई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद होता है तथा प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकद्दमेबाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशान्तिकायम रहती है। जिससे प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक भूमि पर काश्त भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। विपक्षीगण हर समय प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की मंशा रखता है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती है तो भूमि का सीमा संबंधी विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीगण प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना—पत्र के सम्मन जारी किये गये तत्पश्चात प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प दौलपुरा में रखाजाकर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये। पक्षकारान नियत दिनांक को कैम्प दौलपुरा में उपस्थित हुये तथा एक प्रार्थना—पत्र पेश कर प्रा0प0 अनुसार पत्थरगढी कराने बाबत् निवेदन किया। पक्षकारान पत्थरगढी कराये जाने में सहमत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को ग्राम फरालिया प0ह0 दौलपुरा में स्थित हो खा0नं0 34 ख0नं0 98, 106 रकबा क्रमशः 0.11 एवं 0.19 है तथा ग्राम दौलपुरा के खा0नं0 272 ख0नं0 853, 875, 876, 877 किता 4 रकबा क्रमशः 2.15, 3.07, 1.05, 0.18 कुल रकबा 8.05 बीघा भूमि की पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को सूचित करा प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क प्राप्त कर मौके पर पत्थरगढी करा रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प दौलपुरा में मझ में आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द